

# न्यायालय अंचल अधिकारी, काँके (राँची)।

विविध वाद संख्या- 32/2021-22

श्री पंकज कुमार केजरीवाल

..... वादी

बनाम्



श्री सुकरा करमाली

.....प्रतिवादी

विषय:- जमाबंदी निरस्तीकरण

मौजा- डुमरदगा

## आदेश पत्रक

| कार्रवाई के आदेश की तिथि | न्यायालय के आदेश एवं हस्ताक्षर  | कार्यालय आदेश एवं दिनांक |
|--------------------------|---|--------------------------|
| 30.10.21                 | <p>अपर समाहर्ता, राँची के पत्रांक 4146(ii)/रा0, दिनांक- 01.10.2021 द्वारा आवेदक श्री पंकज केजरीवाल पता- लेक अवेन्यु, काँके रोड, राँची का आवेदन प्राप्त है। आवेदक के द्वारा मौजा- डुमरदगा, खाता सं0- 3, प्लॉट सं0- 295, रकबा- 10.50 डी0 भूमि का प्रमण्डलीय आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची के न्यायालय से एस0ए0आर0 रिविजन वाद सं0- 20/2020 द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रतिवादी श्री सुकरा करमाली के नाम से दर्ज जमाबंदी को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। उक्त के आलोक में उभय पक्षों को नोटिस निर्गत करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक 15.12.2021 को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;"><br/>अंचल अधिकारी,<br/>काँके, राँची।</p> |                          |
| 15.12.21                 | <p>अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि से संबंधित L.P.A. No 368/2020 माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची में विचाराधीन है।</p> <p>चुँकि प्रश्नगत भूमि से संबंधित मामला माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची में लंबित है।</p> <p>अतः वाद की कार्रवाई स्थगित रखें।</p> <p style="text-align: right;"><br/>अंचल अधिकारी,<br/>काँके, राँची।</p>  |                          |